सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.
संख्या:- 562/2024
अन्तर्गत धारा :- 88 आरटीए

सिंह सिंह पुत्र बन्ता सिंह जाति जटसिख नि.बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
सिंह पुत्र बन्ता सिंह जाति जटसिख निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
सिंह पुत्र बन्ता सिंह जाति जटसिख निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
कुलविन्द्र सिंह पुत्र बन्ता सिंह जाति जटसिख निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

– वादीगण

बनाम्

1. गुरदेव सिंह पुत्र प्रीतम सिंह जाति जटसिख निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
2. लाभ सिंह पुत्र प्रीतम सिंह जाति जटसिख निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
3. किरणजीत कौर पुत्री गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
4. वीरपाल कौर पत्नी जगसीर सिंह जाति जटसिख निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
5. खुशदीपकौर (नाबालिग) पुत्री जगसीर सिंह जरीये संरक्षक माता कुदरतीवली वीरपाल कौर पत्नी जगसीर सिंह जाति जटसिख निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.) हाल आबादखुडियां गुलाब सिंह जिला श्री मुक्तसर साहिब (पंजाब)।
6. बिन्द्रपाल सिंह (नाबालिग) पुत्र जगसीर सिंह जरीये संरक्षक माता कुदरतीवली वीरपाल कौर पत्नी जगसीर सिंह जाति जट सिख निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.) हाल आबादखुडियां गुलाब सिंह जिला श्री मुक्तसर साहिब (पंजाब)
7. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1– श्री नरेश मण्डा वकील वादीगण
2– श्री संजय धारणियां– वकील प्रति सं. 1 ता 6
3– तहसीलदार राजस्व संगरिया–प्रति.संख्या 7

दिनांक :– 4.3.2025

निर्णय

अधिवक्ता वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण का पंजीकृत पता व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानों के अन्तर्गत वही है जो वाद शीर्षक में अंकित है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 6 एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त कृषि भूमि गांव बोलांवाली व खुडियां गुलाब सिंह पंजाब में पडती है।घरेलू बटवारा में प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 ने अपनी कृषि भूमि खुडियां गुलाब सिंह पंजाब में प्राप्त कर ली थी जो प्रतिवादी सं. 1 ता 6 के नाम से अर्सा पूर्वक दर्ज हो चकी है व वादीगण को घरेलू बटवारा में ग्राम बालांवाली की चक 17 बीजीपी जमाबंदी सम्वत–2072–2075 के खाता सं. 42/24 में कुल 1.897है. बारानी प्रथम कृषि भूमि व चक 10 ए.एम.पी. जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता सं. 40/21 में कुल0.670है. नहरी कृषि भूमि ब.हि.ब. प्राप्त हुई । परन्तु प्रतिवादी सं. 1 ता 6 ग्राम बोलांवाली की कृषि भूमि वादीगण के नाम नही करवायी। वादीगण एव प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिनकी जमांबंदीया संलग्न वाद पत्र है। वादीगण ग्राम बोलांवाली एवं प्रतिवादी सं.1 ता 6 खुडियां गुलाब सिंह (पंजाब) की कृषि भूमि पर काबिज होकर निंविवादरूप से शान्तिपूर्ण तरीके अपनी–अपनी काश्त कर रहे है कब्जाकाश्त बाबत किसी प्रकार का कोई विवाद नही है परन्तु राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं. 1 ता 6 का नाम दर्ज होने से वादीगण को अनेक प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है व राजस्व रिकार्ड में अपने कब्जाकाश्त की भूमि नाम नही होने से राज्य सरकार की कृषि योजनाओं का लाभ नही मिल रहा है। वादीगण चक 17 बीजीपी

सहायक कलक्टर एव

जमाबंदी सम्वत–2072–2075 के खाता सं. 42/24 में कुल 1.897है. ब.हि.ब. बारानी प्रथम कृषि भूमि व चक 10 ए.एम.पी. जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता सं. 40/21 में कुल0.670है.ब.हि.ब. नहरी कृषि भूमि की दर से खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं.1 ता 6 का नाम कलमजन करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। वादीगण मौका पर वाद–पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार ही काबिज है कब्जा काश्त बाबत् किसी तरह का कोई विवाद नहीं है लेकिन राजस्व रिकार्ड में कब्जा अनुसार विभाजन न होने के कारण वादीगण के खातेदारी अधिकारो पर बुरा असर पड़ता है व रकम राज वाटरमेन्ट शुल्क आदि राज्य सरकार को अदा करने में कठिनाईया आती है इसलिए वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई दफा कहा की आप विवाद ग्रस्त आराजी का वादीगण को दावा की चरण सं. 3 के अनुसार कृषि भूमि का विभाजन होना मान लो तो प्रतिवादीगण पहले तो टाल मटौल करते रहे लेकिन अंत में पिछले सप्ताह प्रतिवादीगण, वादी की बात मानने से कतई तौर पर इन्कार हो गये यही वाद कारण है। प्रतिवादी सं. 7 को भूमि धारक होने के कारण पक्षकार के रूप संयोजित किया गया है। वाद कृषि भूमि के जोत के विभाजन का है जो कि उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है व अन्दर मियाद है माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है।

लिहाजा वाद वादी निम्नानुसार डिक्री फरमाया जावे कि वादीगण को चक 17 बीजीपी जमाबंदी सम्वत–2072–2075 के खाता सं. 42/24 में कुल 1.897 है. ब.हि.ब. बारानी प्रथम कृषि भूमि व चक 10 ए. एम.पी. जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता सं. 40/21 में कुल0.670 है.ब.हि.ब. नहरी कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 ता 6 का नाम कलमजन जावें।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर अपना राजीनामा पेश कर वाद को स्वीकार किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 7 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादी पप्पी सिह पुत्र बन्ता सिह ने अपना शपत्र पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है। वकील वादीगण एवं प्रतिवादीगण ओर साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है इसलिए साक्ष्यवादी एवं प्रतिवादी बन्द किये गये। वकील वादी ने फार्म नं. 3 के साथ चक 17 बीजीपी खाता संख्या 42/24 जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 व चक 10 एएमपी खाता संख्या 40/21 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 प्रस्तुत पेश की गई।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि चक 17 बीजीपी खाता संख्या 42/24 जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 व चक 10 एएमपी खाता संख्या 40/21 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 में दर्ज है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वाद में वादी व प्रतिवादीगण आपस मे सहमत है और राजीनामा भी पेश हो चुका है एवं वादीगण के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। तथा वकिल प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने भी वाद पत्र को डिक्री किये जाने हेतु अपनी सहमति दौराने बहस दी गई।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वाद पत्र में वर्णितानुसार चक 17 बीजीपी खाता संख्या 42/24 जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 व चक 10 एएमपी खाता संख्या 40/21 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 में वादीगण एव प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। प्रतिवादी सख्या 1 ता 6 ने जरिये

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

अधिवक्ता राजीनामा पेश कर अपना घरूबंटवारा कर अपना हिस्सा स्वंय प्राप्त न कर वादीगण के पक्ष में हक त्याग .कर रहे है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादीगण साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के साक्ष्य के आधार पर काबिल स्वीकार होने से स्वीकृत किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि :– वादीगण को चक 17 बीजीपी जमाबंदी सम्वत–2072–2075 के खाता सं. 42/24 में 1.581 है. व.हि.व. की हद से खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का नाम कलमजन करने एवं चक 10 ए. एम.पी. जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता सं. 40/21 में वादीगण को 0.370 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 4.3.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
वादपत्र अन्तर्गत धारा :– 88 आरटीए
प्रकरण संख्याः– 562/2024

1. पप्पी सिंह सिंह पुत्र बन्ता सिंह जाति जटसिख नि.बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
2. महमा सिंह पुत्र बन्ता सिंह जाति जटसिख निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
3. धीरा सिंह पुत्र बन्ता सिंह जाति जटसिख निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
4. कुलविन्द्र सिंह पुत्र बन्ता सिंह जाति जटसिख निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

– वादीगण

बनाम

1. गुरदेव सिंह पुत्र प्रीतम सिंह जाति जटसिख निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
2. लाभ सिंह पुत्र प्रीतम सिंह जाति जटसिख निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
3. किरणजीत कौर पुत्री गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
4. वीरपाल कौर पत्नी जगसीर सिंह जाति जटसिख निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
5. खुशदीपकौर (नाबालिग) पुत्री जगसीर सिंह जरीये संरक्षक माता कुदरतीवली वीरपाल कौर पत्नी जगसीर सिंह जाति जटसिख निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.) हाल आबादखुडियां गुलाब सिंह जिला श्री मुक्तसर साहिब (पंजाब)।
6. बिन्द्रपाल सिंह (नाबालिग) पुत्र जगसीर सिंह जरीये संरक्षक माता कुदरतीवली वीरपाल कौर पत्नी जगसीर सिंह जाति जट सिख निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.) हाल आबादखुडियां गुलाब सिंह जिला श्री मुक्तसर साहिब (पंजाब)
7. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नरेश मण्डा वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री संजय धारणियां वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 मिन् जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण को चक 17 बीजीपी जमाबंदी सम्वत–2072–2075 के खाता सं. 42/24 में 1.581 है. ब.हि.ब. की दर से खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का नाम कलमजन करने एवं चक 10 ए.एम.पी. जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता सं. 40/21 में वादीगण को 0.370 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

नोट :– यदि वादग्रस्त आराजी बैंक रहन हो तो ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश होने पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज...X...नल...X...मुब्लिक...X...निल...X...बाबत्...X...निल...X...खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक...X...अदा करें।

वसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 4.3.2025 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया